राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

क्र. 1854 / SEIAA/2022
दिनांक: 20/10/22

स्मरण–पत्र

प्रति,

कलेक्टर,
जिला कटनी (म.प्र)

विषयः **प्रकरण क्र. 5617/2017** परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे निवासी खरे बिल्डिंग गांधीगंज पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र) द्वारा लाईम स्टोन व डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25266 टन प्रतिवर्ष रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 503, नवीन 867, 955, ग्राम रूपौंद, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

संदर्भः प्राधिकरण का पत्र क. 1494 दिनांक 30.08.2022 ।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण की 743वी बैठक दिनांक 29.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के मध्य भाग में एक कच्चा रास्ता (पब्लिक रोड़) परिलक्षित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला कलेक्टर कटनी से खदान से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में (जो कि खदान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो) लिखित स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर 15 दिवस में SEIAA की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में जिला कलेक्टर कटनी से खदान से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाने के संबंध में (जो कि खदान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो) लिखित स्वीकृति/सहमति प्राप्त कर 15 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार चाही गई जानकारी SEIAA कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करे, ताकि प्रकरण में विचार किया जा सके।

O/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1855 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 20/10/22

प्रतिलिपि :–

श्री योगेश खरे, निवासी – खरे बिल्डिंग गांधीगंज, पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र) की ओर सूचनार्थ।

O/c सदस्य सचिव